-1-

190

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–विदिशा निग-2810-I-16

देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री दलीपसिंह, निवासी ग्राम ढोलखेडी, तहसील व जिला विदिशा, वर्तमान निवास– एच. आई.जी.80, इन्द्रा कॉम्पलैक्स, विदिशा (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

1 बद्री प्रसाद
2 लक्ष्मण सिंह
3 प्रकाशचन्द्र सभी पुत्रगण स्व. बिहारी लाल, समस्त निवासीगण ग्राम पडरिया, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
4 महेन्द्र सिंह
5 वीरेन्द्र सिंह
6 जितेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व. श्री रामनारायण निवासी ग्राम रतनहारी तहसील गैरतगंज जिला – रायसेन (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदकगण ने तहसीलदार बिदिशा के समक्ष संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया, कि ग्राम ढोलखेडी तहसील व जिला बिदिशा में स्थित भूमि आराजी नं. 124, 176, 187 के मालिक होकर काबिज है। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के पिता स्व. श्री बिहारी सिंह जी ने न्यायालय सिविल जज वर्ग–2 बिदिशा के यहाँ उक्त भूमि बावत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं अधिपत्य वापिसी हेतु दीवानी दावा 193ए/74 प्रस्तुत किया था। जिसकी अपील के दौरान बिहारी सिंह का स्वर्गवास हो गया था। और उनके वारिसान के रूप में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 एवं उनकी माँ मनको बाई तथा अनावेदक क्रमांक 4,5,6 के पिता श्रीराम नारायण उक्त बिहारी सिंह के स्थान वारिसान के रूप में रिकार्ड में आ गये थे। वर्ष 1989 आवेदक क्रमांक 4,5,6 के पिता स्वर्गवास हो गया था एवं

XX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2810-एक/2016 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
19-8-2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 69/13-14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 25-7-16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी विदिशा ने अंतरिम आदेश दिनांक 25-7-16 से व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के आवेदन की प्रति अनावेदक को देने तथा उस पर तर्क श्रवण करने तथा अधीलनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने हेतु दिनांक 28-7-16 नियत की है अनुविभागीय अधिकारी के इस अंतरिम आदेश से आवेदक को कौनसी प्रत्यक्ष क्षति हुई है ? आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके, जबकि आवेदक के पास अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से ग्राह्यता के स्तर पर अमान्य की जाती है। इस आदेश की एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी विदिशा को भेजी जावे। सदस्य